



कार्यालय नगर पालिक निगम, (बाजार) रायपुर (छ.ग.)

फोन.नं.:- 2535780, 90, फैक्स :- 0771-2227395

Website - www.nagarnigamraipur.nic.in

क.-640/ बा.वि./न.पा.नि./ 2021

रायपुर, दिनांक 13/09/2021

// विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित दुकानों के निविदा ऑफर आमंत्रण सूचना //

नगर निगम रायपुर द्वारा डुमरतराई की 01 दुकानें, जवाहर बाजार हॉल-16, मोहबा बाजार की-14, नेताजी सुभाष स्टेडियम की-17, अग्रसेन मंगलम् के बाजु की-10, कंकाली अस्पताल व्यावसायिक परिसर की-03, जवाहर बाजार की-01 गांधी मैदान कांजी हाऊस की-55, कुल-117 दुकानों को 30 वर्ष के स्थायी पट्टे पर प्रथम 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर किराये में 25 प्रतिशत वृद्धि कर आगामी 15 वर्ष हेतु आबंटन किये जाने तथा स्वीकृति प्रीमियम राशि का वार्षिक 02 प्रतिशत किराये पर आबंटन हेतु दो लिफाफा पद्धति से निर्धारित प्रपत्र में स्पीड पोस्ट के माध्यम से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। घोहर राशि का डी.डी. जो प्राधिकृत बैंक से आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से प्रथम लिफाफा में डी.डी. एवं द्वितीय लिफाफा में निविदादर प्रस्तुत करना होगा। निविदा दिनांक 01.10.2021 को शाम 5:30 बजे तक राजस्व विभाग मुख्य कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 04.10.2021 को दोपहर 12:00 बजे बाजार विभाग नगर निगम रायपुर में खोली जावेगी।

क.	दुकान की क्रमांक	आरक्षण में श्रेणी	क्षेत्रफल (वर्गफुट में)	आफसेट दर	प्रीमियम राशि का - 25 प्रतिशत अमानती राशि
1	2	3	4	5	6
डुमरतराई (छटवीं निविदा)					
1	भूतल-22	अनुसूचित जाति	968.40	4159239	1039810
जवाहर बाजार हॉल (पांचवीं निविदा)					
2	द्वितीय तल हॉल-1	अनारक्षित	2565.50	13084974	3271244
3	द्वितीय तल हॉल-2	अनारक्षित	2617.37	13349529	3337382
4	द्वितीय तल हॉल-3	अनारक्षित	2673.10	13633772	3408443
5	द्वितीय तल हॉल-4	महिला	1431.08	7299023	1824756
6	द्वितीय तल हॉल-5	अन्य पिछड़ा वर्ग	1431.08	7299023	1824756
7	द्वितीय तल हॉल-6	अनारक्षित	2673.10	13633772	3408443
8	द्वितीय तल हॉल-7	अनारक्षित	2617.37	13349529	3337382
9	द्वितीय तल हॉल-8	शिक्षित बेरोजगार	2565.50	13084974	3271244
10	तृतीय तल हॉल-1	अनारक्षित	2565.50	11234394	2808599
11	तृतीय तल हॉल-2	अन्य पिछड़ा वर्ग	2617.37	11462161	2865540
12	तृतीय तल हॉल-3	अनुसूचित जाति	2673.10	11707463	2926866
13	तृतीय तल हॉल-4	अनुसूचित जनजाति	1431.08	6267629	1566907
14	तृतीय तल हॉल-5	अन्य पिछड़ा वर्ग	1431.08	6267629	1566907
15	तृतीय तल हॉल-6	विधवा/परित्यक्ता	2673.10	11707463	2926866
16	तृतीय तल हॉल-7	अनुसूचित जाति	2617.37	11462161	2865540
17	तृतीय तल हॉल-8	अनारक्षित	2565.50	11234394	2808599

मोहवा बाजार (11वीं निविदा)					
18	प्रथम तल-01	अनारक्षित	195	881469	220367
19	प्रथम तल-02	अनारक्षित	195	881469	220367
20	प्रथम तल-03	अनारक्षित	195	881469	220367
21	प्रथम तल-04	अनुसूचित जनजाति	195	881469	220367
22	प्रथम तल-05	शिक्षित बेरोजगार	195	881469	220367
23	प्रथम तल-06	अनारक्षित	195	881469	220367
24	प्रथम तल-07	महिला	195	881469	220367
25	प्रथम तल-08	अनुसूचित जाति	195	881469	220367
26	प्रथम तल-09	अ.पि.वर्ग	195	881469	220367
27	प्रथम तल-10	अनारक्षित	195	881469	220367
28	प्रथम तल-11	अ.पि.वर्ग	195	881469	220367
29	प्रथम तल-12	अनुसूचित जाति	195	881469	220367
30	प्रथम तल-13	अनारक्षित	195	881469	220367
31	प्रथम तल-14	अनारक्षित	195	881469	220367
नेताजी सुभाष स्टेडियम (अठवीं निविदा)					
32	भूतल-02	अनारक्षित	341	3306000	826500
33	भूतल-03	अनारक्षित	341	3306000	826500
34	भूतल-04	अन्य पिछड़ा वर्ग	341	3306000	826500
35	भूतल-05	अनारक्षित	341	3306000	826500
36	भूतल-06	अनुसूचित जाति	341	2017000	504250
37	भूतल-07	शिक्षित बेरोजगार	341	2017000	504250
38	भूतल-09	अनुसूचित जनजाति	341	2017000	504250
39	भूतल-10	अनारक्षित	341	2017000	504250
40	भूतल-11	अनारक्षित	341	2017000	504250
41	भूतल-12	अनारक्षित	341	2017000	504250
42	भूतल-14	अनारक्षित	341	2017000	504250
43	भूतल-15	अन्य पिछड़ा वर्ग	341	2017000	504250
44	भूतल-17	विध./परि. महिला	341	2017000	504250
45	भूतल-18	अनुसूचित जाति	341	2017000	504250
46	भूतल-19	अनारक्षित	341	2017000	504250
47	भूतल-20	अनुसूचित जाति	341	2017000	504250
48	भूतल-21	अन्य पिछड़ा वर्ग	341	2017000	504250
अग्रसेन मंगलम् के बाजु (11वीं निविदा)					
49	पृष्ठ भाग प्रथम तल-4	अ.जा.	177.54	745313	186328
50	पृष्ठ भाग प्रथम तल-5	अ.ज.जा.	177.54	745313	186328
51	पृष्ठ भाग प्रथम तल-8	अ.पि.वर्ग	177.54	745313	186328
52	पृष्ठ भाग प्रथम तल-16	स्व. सं.से.	177.54	745313	186328
53	पृष्ठ भाग द्वि. तल-7	अ.जा.	177.54	601506	150377
54	पृष्ठ भाग द्वि. तल-9	अ.ज.जा.	177.54	601506	150377
55	पृष्ठ भाग द्वि. तल-15	अ.जा.	177.54	601506	150377
56	पृष्ठ भाग द्वि. तल-19	अ.पि.वर्ग	129.12	437459	109365
57	पृष्ठ भाग द्वि. तल-23	अ.ज.जा.	129.12	437459	109365
58	पृष्ठ भाग तृतीय तल हॉल	अनारक्षित	5767.3	12411230	3102808

कंकाली अस्पताल व्यवसायिक परिसर (11वीं निविदा)					
59	भूतल-10	अ.जा.	96	470688	117672
60	प्रथम तल-10	अ.जा.	254.15	948488	237122
61	प्रथम तल-11	अ.जा.	338.93	1264887	316222
जवाहर बाजार (पांचवीं निविदा)					
62	प्रथम तल-12	स्व. सं. से.	235.64	1711168	427792
गांधी मैदान कांजी हाऊस (छठीं निविदा)					
63	लोवर ग्राउंड फ्लोर LGF-1	अनारक्षित	155	1512605	378151
64	लोवर ग्राउंड फ्लोर LGF-2	अनारक्षित	146.92	1433824	358456
65	लोवर ग्राउंड फ्लोर LGF-3	अनारक्षित	145.31	1642910	410728
66	लोवर ग्राउंड फ्लोर LGF-4	महिला	145.31	1642910	410728
67	लोवर ग्राउंड फ्लोर LGF-5	शिक्षित बेरोजगार	146.92	1661165	415291
68	लोवर ग्राउंड फ्लोर LGF-6	दिव्यांग	429.48	4855711	1213928
69	लोवर ग्राउंड फ्लोर LGF-7	अ.पि.वर्ग	174.37	1971492	492873
70	मैजेनाईन तल MF-1	अ.जा.	155	1428581	357145
71	मैजेनाईन तल MF-2	अ.जा.	146.92	1354176	338544
72	मैजेनाईन तल MF-3	अनारक्षित	189.98	1751004	437751
73	मैजेनाईन तल MF-4	अनारक्षित	177.28	1633940	408485
74	मैजेनाईन तल MF-5	अनारक्षित	215.49	1986125	496531
75	मैजेनाईन तल MF-6	विद्य./परित्यक्ता	222.81	2053585	513396
76	मैजेनाईन तल MF-7	महिला	224.53	2069460	517365
77	मैजेनाईन तल MF-8	अ.पि.वर्ग	196.97	1815489	453872
78	प्रथम तल FF-1	महिला	163.07	1502987	375747
79	प्रथम तल FF-2	शिक्षित बेरोजगार	163.07	1502987	375747
80	अपर प्रथम तल UFF-1	अनारक्षित	149.83	1380962	345241
81	अपर प्रथम तल UFF-2	अनारक्षित	141	1299612	324903
82	अपर प्रथम तल UFF-3	अनारक्षित	144.98	1336319	334080
83	अपर प्रथम तल UFF-4	अनारक्षित	146.60	1351200	337800
84	अपर प्रथम तल UFF-5	वि./परित्यक्ता	134.33	1238104	309526
85	अपर प्रथम तल UFF-6	अ.पि.वर्ग	427.46	3943480	985870
86	अपर प्रथम तल UFF-7	अ.पि.वर्ग	175.02	1613106	403277
87	अपर प्रथम तल UFF-8	अ.जा.	177.28	1633940	408485
88	अपर प्रथम तल UFF-9	अ.जा.	177.49	1633940	408485
89	अपर प्रथम तल UFF-10	अ.जा.	189.87	1750012	437503
90	अपर प्रथम तल UFF-11	अनारक्षित	253.16	2333349	583337
91	अपर प्रथम तल UFF-12	अनारक्षित	253.16	2333349	583337
92	अपर प्रथम तल UFF-13	अनारक्षित	232.5	2142872	535718
93	अपर प्रथम तल UFF-14	अनारक्षित	226.14	2084340	521085
94	द्वितीय तल SF-1	अनारक्षित	166.62	1445368	361342
95	द्वितीय तल SF-2	अनारक्षित	158.22	1372540	343135
96	द्वितीय तल SF-3	महिला	162.31	1408020	352005
97	द्वितीय तल SF-4	महिला	153.7	1333324	333331
98	द्वितीय तल SF-5	शिक्षित बेरोजगार	160.81	1394950	348738
99	द्वितीय तल SF-6	अ.पि.वर्ग	216.03	1873940	468485
100	द्वितीय तल SF-7	भूतपूर्व सैनिक	180.94	1569550	392388
101	द्वितीय तल SF-8	स्व. सं.से.	161.02	1396816	349204
102	द्वितीय तल SF-9	अ.जा.	147.89	1282904	320726

103	द्वितीय तल SF-10				
104	अपर द्वितीय तल USF-1	अ.जा.	112.91	979452	244863
105	अपर द्वितीय तल USF-2	अनारक्षित	144.02	1249291	312323
106	अपर द्वितीय तल USF-3	अनारक्षित	164.04	1422690	355673
107	अपर द्वितीय तल USF-4	अनारक्षित	151.77	1316517	329129
108	अपर द्वितीय तल USF-5	अनारक्षित	144.45	1253026	313257
109	अपर द्वितीय तल USF-6	अनारक्षित	131.96	1144717	286179
110	अपर द्वितीय तल USF-7	अ.पि. वर्ग	426.14	3696519	924130
111	अपर द्वितीय तल USF-8	अ.पि. वर्ग	174.16	1510727	377682
112	अपर द्वितीय तल USF-9	अ.ज.जा.	177.17	1536871	384218
113	अपर द्वितीय तल USF-10	अ.ज.जा.	174.16	1510727	377682
114	अपर द्वितीय तल USF-11	तृतीय लिंग	180.18	1563014	390754
115	अपर द्वितीय तल USF-12	महिला	250.47	2172720	543180
116	अपर द्वितीय तल USF-13	अनारक्षित	232.82	2019594	504899
117	अपर द्वितीय तल USF-14	अ.पि.वर्ग	230.45	1999052	499763
			220.76	1915020	478755

विशेष :- आवेदन फार्म नगर निगम से जारी नहीं किये जायेंगे, वेबसाईट में प्रकाशित प्रारूप में ही निविदाकर्ता आवेदन करेंगे।

1. प्रत्येक दुकान के लिए अलग-अलग निविदा आवेदन पत्र धरोहर राशि के साथ जमा करना होगा जिस नाम से निविदा आवेदन किया जावेगा उस नाम से ही निविदा स्वीकार की जावेगी।
2. प्रत्येक दुकान हेतु प्रस्तुत निविदा लिफाफा के ऊपर प्रति आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर का पता अंकित करना होगा, एवं प्रेषक का भी नाम पता अंकित करना होगा। दुकान का स्थान, दुकान क्रमांक एवं आरक्षण का उल्लेख लिफाफा के ऊपर करना होगा। लिफाफा के ऊपर दुकान का स्थान, दुकान क्रमांक एवं आरक्षण का उल्लेख नहीं होने पर निविदा लिफाफा नहीं खोला जावेगा। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
3. आरक्षित वर्ग को आरक्षण से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज अनिवार्यतः निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निविदा स्वयमेव निरस्त मानी जायेगी।
4. निविदा की समस्त शर्तें एवं नियम कार्यालयीन अवधि में राजस्व विभाग मुख्य कार्यालय, संबंधित जोन कार्यालय एवं नगर पालिक निगम रायपुर की वेब साईड WWW.nagarnigamraipur.nic.in से देखी जा सकती है।

उपायुक्त (बाजार)
नगर पालिक निगम, रायपुर
रायपुर, दिनांक 13/09/2021

पृ. क्र.-641/ बा.वि./न.पा.नि./ 2021
प्रतिलिपि :-

1. माननीय महापौर/सभापति/नेता प्रतिपक्ष/भारसाधक सदस्य नगर पालिक निगम रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. जोन कमिश्नर 01 से 08 नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ।
4. राजस्व अधिकारी नगर पालिक निगम रायपुर को नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
5. सहायक राजस्व अधिकारी जोन क्रमांक-01 से 10 नगर पालिक निगम को सूचनार्थ।

उपायुक्त (बाजार)
नगर पालिक निगम, रायपुर



// विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित दुकानों के आबंटन हेतु नियम एवं शर्तें //


1. नगर निगम रायपुर द्वारा डुमरतराई की 01 दुकानें, जवाहर बाजार हॉल-16, मोढ़वा बाजार की-14, नेताजी सुभाष स्टेडियम की-17, अग्रसेन मंगलम् के बाजु की-10, कंकाली अस्पताल व्यवसायिक परिसर की-03, जवाहर बाजार की-01 गांधी मैदान कांजी हाऊस की-55, कुल-117 दुकानों को 30 वर्ष के स्थायी पट्टे पर प्रथम 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर किराये में 25 प्रतिशत वृद्धि कर आगामी 15 वर्ष हेतु आबंटन किये जाने तथा स्वीकृति प्रीमियम राशि का वार्षिक 02 प्रतिशत किराये पर आबंटन हेतु दो लिफाफा पद्धति से निर्धारित प्रपत्र में स्पीड पोस्ट के माध्यम से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। धरोहर राशि का डी.डी. जो प्राधिकृत बैंक से आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से प्रथम लिफाफा में डी.डी. एवं द्वितीय लिफाफा में, निविदादर प्रस्तुत करना होगा। निविदा दिनांक 01.10.2021 को शाम 5:30 बजे तक राजस्व विभाग मुख्य कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 04.10.2021 को दोपहर 12:00 बजे बाजार विभाग नगर निगम रायपुर में खोली जावेगी।
2. प्रत्येक दुकान के लिए अलग-अलग निविदा आवेदन पत्र धरोहर राशि के साथ जमा करना होगा। पहले धरोहर राशि का लिफाफा खोला जावेगा, जिसमें निर्धारित राशि की डी.डी. होने पर ही निविदा का लिफाफा खोला जावेगा। जिस नाम से निविदा जमा किया जावेगा उस नाम से ही निविदा स्वीकार की जावेगी।
3. निविदा के लिए निर्धारित की गई धरोहर राशि आयुक्त, नगर निगम, रायपुर के नाम पर देय डिमांड ड्रॉफ्ट द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।
4. मुहरबंद निविदाएं आयुक्त नगर पालिक निगम बाजार विभाग मुख्य कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के नाम से देय होगी।
5. कोई भी निविदा आवेदन पत्र जिसमें निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम राशि का प्रस्ताव होगा स्वीकार नहीं होगा। ऐसी निविदा स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।
6. आरक्षित वर्ग को आरक्षण से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज अनिवार्यतः निविदा लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा स्वयंमेव निरस्त मानी जायेगी।
7. दुकान आबंटन अचल संपत्ति अंतरण नियम 1994 के अनुसार सक्षम स्वीकृति उपरांत निविदादाता को दुकान आबंटन की सूचना दी जावेगी।

8. केवल ऐसे व्यक्तियों को ही निविदा में भाग लेने की पात्रता होगी जो :-
- (अ) भारतीय नागरिक हों
 - (ब) फर्म या कंपनी की ओर से प्रस्ताव करने पर फर्म या कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, भागीदार विलेख तथा अधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - (स) मानसिक रूप से दीवालिया, विक्षिप्त या पागल न हों।
 - (द) नाबालिग न हो।
9. निविदादाता को उसकी निविदा स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि में समस्त देय राशि जमा कर स्वयं के व्यय से आबंटित दुकान के पट्टे का निष्पादन एवं पंजीयन कराना होगा।
10. निविदादाता को नगर निगम कार्यालय में दुकान के पट्टा पंजीयन की फोटोप्रति प्रस्तुत किये जाने के बाद ही दुकान का आधिपत्य दिया जावेगा।
11. आबंटित दुकान की छत पर पट्टाधारी का कोई अधिकार नहीं होगा।
12. दुकान के आबंटन स्वीकृति की सूचना निविदाकर्ता को उनके लिखित पते पर डाक से भेजी जाएगी। यदि आबंटिती को समय पर डाक से सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा पत्र वापस आ जाता है तो नगर निगम को धरोहर राशि जब्त करने और आबंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
13. उच्चतम निविदा/प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति द्वारा सूचना प्राप्त होने पर कि उसकी निविदा/प्रस्थापना स्वीकृत कर ली गयी है, निविदा/प्रस्थापना की शतप्रतिशत राशि 30 दिन के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, परन्तु इस राशि में प्रतिभूति निक्षेप की राशि समायोजित की जायेगी। यदि विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी राशि जमा नहीं की जाती है तब प्रतिभूमि निक्षेप की राशि जब्त तथा इस संबंध में अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी, न ही कोई अम्यावेदन स्वीकार किया जाएगा और न ही निविदादाता द्वारा किसी भी न्यायालय में इस संबंध में कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।
14. आबंटन प्रस्ताव जारी होने के बाद यदि निविदादाता दुकान नहीं लेना चाहेगा तो धरोहर राशि राजसात हो जाएगी।
15. निविदादाता/आबंटिती को दुकान में कम्पन्न करने वाली मशीन लगाने, मादक पदार्थों, ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्रियों को रखने अथवा उसका व्यवसाय करने का अधिकार नहीं होगा। इसी तरह शासन द्वारा प्रतिबंधित अन्य व्यवसाय भी नहीं किया जा सकेगा।
16. आबंटिती को दुकान में स्वयं के व्यय से छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल से बिजली का कनेक्शन/मीटर लेना होगा तथा विद्युत देयकों का भुगतान स्वयं करना होगा।
17. आबंटिती को भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, स्थानीय संस्थाओं एवं अन्य शासकीय विभागों द्वारा समय-समय पर अधिरोपित करों/फीस का भुगतान स्वयं करना होगा। तथा नगरीय चिकित्सा में समय-समय पर प्रचलित संपत्तिकर, समेकित कर एवं अन्य सेवा प्रभारों का अनिवार्य रूप से भुगतान करना होगा।

18/11

18/11

18. आबंटिती को दुकान का मासिक किराया स्वीकृत प्रीमियम राशि का 02 प्रतिशत वार्षिक देय होगा। तथा प्रति तीन वर्ष में किराये में 05 प्रतिशत चकवृद्धि कम में की वृद्धि की जावेगी एवं निर्धारित समय में किराया राशि जमा न करने पर नियमानुसार सरचार्ज देय होगा। किराया कब्जा देने की तिथि से प्रभावशील होगा।
19. दुकान के लीज डीड निष्पादित होने के 02 वर्ष पश्चात् आबंटिती द्वारा दुकान अन्य किसी को हस्तांतरित करने के पूर्व नगर निगम से अनुमति प्राप्त करना होगा जिसके लिए क्रेता/विक्रेता का संयुक्त आवेदन प्रकाशन शुल्क के साथ जमा करना होगा। तत्पश्चात् दावा-आपत्ति उपरंत गुणदोष के आधार पर वर्तमान मासिक किराया में 10% वृद्धि कर 30,000/-रु. नजराना जमा करने पर हस्तांतरण किया जा सकेगा। परन्तु आबंटिती की मृत्यु हो जाने की दशा में वारिसानों के पक्ष में नामांतरण हेतु नामांतरण शुल्क देय नहीं होगा।
20. आरक्षित वर्ग की दुकाने भविष्य में आरक्षित वर्ग को ही हस्तांतरित/स्थानांतरित की सकेगी।
21. आबंटिती को दुकान का रखरखाव एवं रंगाई-पुताई स्वतः कराना होगा।
22. आबंटिती द्वारा निष्पादित पट्टे एवं निविदा की नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर नगर निगम को यह अधिकार होगा कि वह दुकान का आबंटन निरस्त कर दे तथा जमा समस्त राशि नगर निगम में राजसात कर ले। आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर को यह अधिकार होगा कि वह प्रकरण के गुणदोषों के आधार पर पुर्नविचार कर पट्टे एवं निविदा के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन पर स्वीकृत निविदा राशि का 25 (पच्चीस) प्रतिशत अर्थदण्ड अधिरोपित कर उपशमन कर सकेंगे।
23. भागीदार फर्मों के संबंध में 50 (पचास) प्रतिशत या उससे ज्यादा भागीदारों का समावेश करने अथवा हटाने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर की अनुमति से तत्समय निर्धारित नामांतरण शुल्क नगर निगम कोष में जमा किये जाने पर अनुमति दी जा सकेगी।
24. निविदा एवं पट्टे के नियम एवं शर्तों से उद्धृत किन्हीं विवादों के संबंध में अथवा उभय पक्ष के मध्य उत्पन्न किसी विवाद के संबंध में आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के समक्ष पंच निर्णय (आर्बिट्रेशन) हेतु सौंपा जायेगा। ऐसे विवाद का निपटारा आयुक्त अथवा उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा, जिसका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा।
25. दुकानों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।
26. प्रत्येक दुकान हेतु प्रस्तुत निविदा लिफाफा के ऊपर प्रति आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर का पता अंकित करना होगा, एवं प्रेषक का भी नाम पता अंकित करना होगा। दुकान का स्थान, दुकान क्रमांक एवं आरक्षण का उल्लेख लिफाफा के ऊपर करना होगा। लिफाफा के ऊपर दुकान का स्थान, दुकान क्रमांक एवं आरक्षण का उल्लेख नहीं होने पर निविदा लिफाफा नहीं खोला जावेगा। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
27. वर्णित व्यवसायिक परिसर में आबंटितियों को परिसर के रखरखाव एवं आवश्यक मरम्मत कार्य के लिये एक समिति गठित कर स्वयं के व्यय में रखरखाव एवं मरम्मत कार्य करना होगा।
28. आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा निविदा शर्तों को संशोधन या शिथिल किया जा सकेगा। आयुक्त नगर पालिक निगम का निर्णय अंतिम होगा।


 उपायुक्त (बाजार)
 नगर पालिक निगम, रायपुर

// निविदा आवेदन पत्र का प्रारूप //

विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित दुकानों के निर्मित दुकानों के आबंटन हेतु

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

निविदादाता का
फोटो (स्वयं द्वारा
प्रमाणित)

(निविदादाता द्वारा स्वयं भरा जाए)

1. निविदादाता का नाम :-
 2. पिता/पति का नाम :-
 3. जन्म तिथि :-
 4. स्थायी निवास/पत्र व्यवहार का :-
पता
 5. दूरभाष तथा मोबाइल नं. :-
 6. ई-मेल पता (E-mail ID) :-
 7. आवेदन के साथ धरोहर राशि जमा करने का विवरण
राशि (अंकों में) रूपये
 - (शब्दों में) रूपये
 - बैंक का नाम
 - बैंक ड्रॉफ्ट का नंबर दिनांक
8. निविदादाता द्वारा चयनित दुकान एवं प्रस्तावित मूल्य निम्नानुसार है :-

दुकान नं.	दुकान का आरक्षण वर्ग	निविदादाता द्वारा प्रस्तावित मूल्य	निविदादाता के हस्ताक्षर
		(अंकों में) रु. (शब्दों में) रु.	

—:: अभिवचन ::—

मैं में दुकानों का आबंटन में उपरोक्त दुकान निविदा में अंकित मूल्य पर 30 वर्ष के स्थायी पट्टे पर लेने के लिए सहमत हूँ। इस हेतु मैंने निविदा की समस्त शर्तों को पढ़कर समझ लिया है। निविदा की समस्त नियम एवं शर्तें मुझे मान्य हैं। मैंने कंडिका (08) में कुल प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया है।

स्थान :-

दिनांक :-

(निविदादाता का हस्ताक्षर)